तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई –25 (13) / 219 / वि.कार्य / 2017–18 / 1622-1623 दिनांकः– 06 / 08 / 2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या 22 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 (150 कापियॉ)

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 22

दिनांक :– 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री सोमनाथ भारती

क्या उप मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यदि किसी विद्यार्थी को 'डिस्कैलकुलिया' (गणित सीखने की असमर्थता) की बीमारी है तो दिल्ली सरकार तथा निजी स्कूल स्कूलों में ऐसे बच्चों की सहायतार्थ क्या व्यवस्था है,	डिस्कैलकुलिया तथा अन्य चुनौतियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिये दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति की गई है।
(ख)	ऐसे बच्चों के साथ उनके परीक्षा परिणाम में अंकों/ग्रेड के संबंध में भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं;	विभाग ने दिल्ली सरकार के विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अनुसार इन बच्चों के परीक्षा परिणाम में अंकों/ग्रेडों के संबंध में भेदभाव न करें।
(ग)	ऑटिस्टिक विद्यार्थियों के लिए सरकार तथा निजी स्कूलों में क्या विकल्प उपलब्ध हैं,	ऑटिस्टिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। विशेष शिक्षक इन बच्चों को परामर्शदाता, विषय शिक्षक एवं अभिभावक की मदद से पढ़ाते हैं। निजी विद्यालयों में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया गया है।
(घ)	ऑटिस्टिक छात्रों तथा सामान्य छात्रों के बीच भेदभाव न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;	ऑटिस्टिक छात्रों एवं सामान्य छात्रों के बीच भेदभाव न हो इसके लिए दिल्ली सरकार के विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूल में समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा बिना भेदभाव किए प्रदान करें। आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट 2016 में प्रावधानों को विद्यालय प्रमुख को पालन करने के लिये निर्देश दिया गया है।
(ड)	शिक्षा विभाग में स्कूलिंग के कौन–से वैकल्पिक साधन स्वीकृत हैं, क्या घर पर ही शिक्षण तथा ऑरबिंदो मार्ग स्थित मदर्स इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे 'मीरंबिका' जैसे स्कूल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत हैं;	पत्राचार एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उपलब्ध है। मदर्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे 'मीरंबिका', दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
(च)	क्या सरकार की प्रारंभिक कानूनी शिक्षा तथा मानवाधिकारों की जानकारी को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की कोई योजना है;	जी नहीं।
(छ)	महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने और बच्चों में महिलाओं के प्रति स्वस्थ मानसिकता के निर्माण हेतु महिला अधिकारों तथा लैंगिक समानता को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की क्या सरकार की कोई योजना है; और	उपरोक्तानुसार।
(ज)	तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा सीबीएसई परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक आने की स्थिति में सरकार दिल्ली के सभी विद्यार्थियों के कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?	यह प्रश्न शिक्षा निदेशालय रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली से संबंधित नहीं है। दिनांक 30.07.2018 को प्राप्त हुये उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या 3680 के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय में इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi